

फर्जी तौर पर आधार सेवा देने वाली 8 वेबसाइट्स पर एक्शन

[पीटीआई | नई दिल्ली]

यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने आधार से जुड़ी सर्विसेज देने का दावा करने वाली आठ अनधिकृत वेबसाइट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। ये वेबसाइट गैर कानूनी तरीके से लोगों से आधार नंबर और एनरोलमेंट डिटेल्स एकत्र कर रही थी। UIDAI की ओर से आधार से जुड़ी सर्विसेज देने का दावा करने वाली जाली और गैर कानूनी वेबसाइट्स के खिलाफ इस तरह की यह पहली कार्रवाई है। ये वेबसाइट्स aadhaarupdate.com, aadhaarindia.com, pvcaadhaar.in, aadhaarprinters.com, getaadhaar.com, downloadaadhaarcad.in, aadhar-copy.in, और duplicateaadhaarcad.com हैं।

ये वेबसाइट्स लोगों से गैर कानूनी तरीके से आधार नंबर और एनरोलमेंट डिटेल्स एकत्र कर रही थी और UIDAI की ओर से अधिकृत होने का दावा कर आधार सर्विसेज देने का वादा कर रही थी। UIDAI के सीईओ, अजय भूषण पांडे ने बताया, 'हमने पाया था कि कुछ अनधिकृत वेबसाइट्स को बंद करने का ऑर्डर देने के बाद कुछ नई वेबसाइट्स शुरू हो गई थी। इस बार हमने ऐसी वेबसाइट्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।'

पांडे ने कहा कि UIDAI ऐसी वेबसाइट्स के खिलाफ कड़े कदम उठाना जारी रखेगी। उन्होंने जनता से आधार से संबंधित सभी सर्विसेज के लिए UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट (www.uidai.gov.in) का इस्तेमाल करने के लिए भी कहा है। UIDAI ने इस वर्ष की शुरुआत में गैर कानूनी तरीके से आधार से जुड़ी सर्विसेज देने और जनता से अधिक रकम वसूलने के लिए 12 वेबसाइट्स और गूगल प्लेस्टोर पर उपलब्ध 12 मोबाइल एप्स को बंद करने का निर्देश दिया था। UIDAI ने अथॉरिटीज को भी इस तरह की 26 अन्य जाली और अवैध वेबसाइट्स और मोबाइल एप्लिकेशंस बंद करने का निर्देश दिया था।